



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-01.07.2022

थाना-कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 37/2018, धारा-302 भादवि व मु0अ0सं0-39/2018, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत सेठ उर्फ बाबू मुन्ना सेठ निवासी म0नं0- के. 29/21 घासीटोला गणेश विद्या मंदिर, थाना- कोतवाली वाराणसी को थाना-कोतवाली पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ.नि.अधि., न्यायालय संख्या-4 वाराणसी द्वारा दिनांक- 01.07.2022 को अभियुक्त रंजीत सेठ उर्फ बाबू को धारा- 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रुपये (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा ।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय  
जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी ।